भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3185

जिसका उत्तर 21.12.2023 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था

3185. श्री श्रीनिवासदास दादासाहेब पाटील:
डॉ. जयंत कुमार रायः
श्री संगीता कुमारी सिंह देवाः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्री भोला सिहः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री विनोक कुमार सोनकरः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश-प्रणालियां स्थापित की गई हैं उनका राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सेंट्रल मीडियन एलईडी लाइटें लगाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सेंट्रल मीडियन एलईडी लाइट लगाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या सरकार को विशेषकर पुणे से बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग-4 (एएच 47) के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश सुविधाओं की कमी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय राजमार्गों पर, विशेषकर उपरि पुलों, मोडों, चौराहों, ग्राम संपर्क मार्गों अंडरपास आदि पर रोशनी की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति का ब्यौरा क्या है;

(छ) महाराष्ट्र के सतारा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 (एएच 47) पर नीरा (पुणे सतारा सीमा के पास) से मालखेड (सांगली सतारा सीमा के पास) के बीच कितने हाई मास्ट लैंप लगाए गए हैं; और

(ज) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग-4 (एएच 47) पर सौर लाइटें उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो महाराष्ट्र के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सेंट्रल मीडियन एलईडी लैंप लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क), (ख), (घ) और (च) भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) पर निम्नलिखित स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान किया गया हैं:

i. टोल प्लाजा क्षेत्र

ii. विश्राम क्षेत्र

iii. ट्रक ले बाई

iv. बस अड्डे और बस शेल्टर

v. ग्रेड सेपरेटेड संरचनाएं जैसे इंटरचेंज, फ्लाईओवर, अंडरपास (वाहन/पैदल यात्री) और ओवरपास (ऐसी संरचनाओं के ऊपर और नीचे दोनों)।

vi. परियोजना राजमार्गों पर कैरिजवे के मध्य में और दोनों ओर की सर्विस रोड पर निर्मित स्थान पर।

आम तौर पर 4/6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के उपरोक्त स्थानों पर और हाल ही में विकसित 2-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में भी प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। सुरक्षा और अन्य तकनीकी को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के दौरान मूल्यांकन की गई आवश्यकता के आधार पर किसी परियोजना में प्रकाश व्यवस्था का दायरा तय किया जाता है और ऐसे निर्णय लेते समय राज्य सरकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों/सुझावों पर भी विचार किया जाता है।

(ग) पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, उत्तर प्रदेश से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, (i) प्रतापगढ़ जिले में रारा-231 का रायबरेली-जौनपुर खंड और (ii) चित्रकूट जिले के कर्वी शहर में रारा-35 (पुराना रारा-76)। राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए जो भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उन पर आईआरसी दिशानिर्देशों के पूरा होने के आधार पर विचार किया जाता है।

(ड.) रारा 4 (एएच 47) (नया रारा 48) के पुणे से बेंगलुरु बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रकाश की कमी के कारण ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है।

(छ) रारा-4 (एएच 47) (नया रारा- 48) के पुणे-सतारा खंड पर नीरा से मालखेड के बीच अर्थात् किमी 725 से किमी 797 तक 17 हाई मास्ट लैंप लगाए गए हैं।

(ज) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****